बालक न्यायालय, बांसवाड़ा,
राजस्थान

पीठासीन अधिकारी - राम सुरेश प्रसाद,
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश)

विशिष्ठ सत्र विचारण संख्या - 126/2024

राजस्थान राज्य - अभियोजन

बनाम

विधि से संघर्षरत किशोर S पिता जगदीश सिंह, उम्र 21 वर्ष, निवासी करणपुर, पुलिस थाना लोहारिया, जिला बांसवाडा (राज.) - विधि से संघर्षरत किशोर S

<u>प्रतिनिधित्व</u> -

01. श्री योगेश सोमपुरा, विशिष्ठ लोक अभियोजक।

02. श्री विनोद नायर, अधिवक्ता, विधि से संघर्षरत किशोर S की ओर से।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 29 मई, 2026

1. धारा 74 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2015 कहा जायेगा) एवं शिल्पा मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एआईआर 2020 एससी 405 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित के क्रम में विधि से संघर्षरत किशोर का नाम गुप्त रखे जाने के प्रयोजन से निर्णय में किशोर को काल्पनिक नाम विधि से संघर्षरत किशोर S से संबोधित किया जायेगा।

2. अधीनस्थ न्यायालय किशोर न्यायालय बोर्ड, बांसवाडा द्वारा विधि से संघर्षरत किशोर S के विरूद्ध धारा 147, 148, 323, 427, 307, 302 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता एवं एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3(2)(va) के अपराध का संज्ञान लिया जाकर प्रकरण अनन्य रूप से बालक न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से अंतरित किया गया। प्रकरण अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.03.2022 को सूचक निलेश ने बमुकाम सीएचसी, परतापुर में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि घटना दिनांक 13.03.2022 की रात्रि करीब 12.30 बजे की है। अभियुक्तगण सभी एक सलाह होकर अपनी कार एसक्रोस एवं एक स्कोर्पियो

में धारदार हथियार लेकर उसके घर हाउसिंग बोर्ड आये। आते ही उसके पिता एवं अन्य लोगों पर हमला कर दिया। उसके पिताजी को लगी। उसके पिता पर अरूण ने हमला किया जिससे उसके पिता मौके पर बेहोश होकर गिर गये, उन्हें हॉस्पिटल लाये जहां उनकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण ने अन्य लोगों से मारपीट की जिसमें कुलदीप के कान के नीचे चोटें आईं तथा सिर पर चोटें आईं। दिलीपजी के सिर पर चोटें आईं तथा दिलीपजी की कार पूरी तरह से तोड़ दी। अभियुक्तगण धारदार हथियार लेकर आये थे तथा पूर्व में प्लान कर आये थे। उनके घर पर आकर उनके साथ मारपीट की और उसके पिता का मर्डर कर दिया। अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तथा आये दिन मारपीट करते रहते हैं। अभियुक्त अरविन्द के हाथ में स्टील की रॉड थी जो आते ही ताबडतोड़ मारपीट करने लग गये। अन्य सभी विधि से संघर्षरत किशोर S भी धारदार हथियार लेकर आये और मारपीट की। विधि से संघर्षरत किशोर S ने उसके पिता का मर्डर किया है। कानूनी कार्यवाही करावें.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना गढ़ी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2022 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 427, 307, 302 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज किया तथा बाद अनुसंधान आरोप-पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

4. बहस आरोप सुनी जाकर विधि से संघर्षरत किशोर S को आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 323, 427, 307, 302 सपठित धारा 149 एवं धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के विरचित कर सुनाए समझाए गए। विधि से संघर्षरत किशोर S ने आरोप को सुन व समझ कर अपराध को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाहा।

5. विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा गवाह अभियोजन साक्षी संख्या 1 पवन, अभियोजन साक्षी संख्या 2 रमेश, अभियोजन साक्षी संख्या 3 कल्पेश, अभियोजन साक्षी संख्या 4 नरसिंग, अभियोजन साक्षी संख्या 5 जालमपुरी, अभियोजन साक्षी संख्या 6 सुमन कुंवर उर्फ सुगन, अभियोजन साक्षी संख्या 7 निलेश सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 8 डॉक्टर अजयपाल, अभियोजन साक्षी संख्या 9 दिलीप, अभियोजन साक्षी संख्या 10 नरेन्द्र सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 11 छत्रसिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 12 कुलदीप सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 13 झूझार सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 14 कर्मवीर सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 15 जगदीश, अभियोजन साक्षी संख्या 16 नागेन्द्रसिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 17 राजेन्द्र, अभियोजन साक्षी संख्या 18 महेन्द्र सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 19 राकेश एवं अभियोजन साक्षी संख्या 20 गोपाललाल के बयान लेखबद्ध करवाए गए तथा प्रलेखीय साक्ष्य में कुल 52 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।

6. विधि से संघर्षरत किशोर S के बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313, दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए, तो विधि से संघर्षरत किशोर S ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना कहा एवं कथन किया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है।

7. दौराने बहस विद्वान लोक अभियोजक का निवेदन रहा कि पत्रावली पर आई साक्ष्यों से अभियोजन का मामला साबित होता है। पक्षद्रोही साक्षीयों ने भी फर्दात् पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य से भी मृतक भंवरसिंह की मृत्यु होना एवं आहतगण के चोटें आना साबित होता है। अतः विधि से संघर्षरत किशोर S को दोषसिद्ध किया जावे।

दूसरी ओर विधि से संघर्षरत किशोर S के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि विधि से संघर्षरत किशोर S निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा संलिप्त किया है। प्रकरण में सूचक, आहतगण एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण पक्षद्रोही रहे हैं। चिकित्सीय साक्षी ने भी मृतक भंवरसिंह की मृत्यु का कारण हृदयघात होना बताया है तथा किसी भी आहत के कोई प्राणघातक प्रकृति की चोट नहीं आना कहा है। प्रकरण में विधि से संघर्षरत किशोर से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। अतएव विधि से संघर्षरत किशोर S को दोषमुक्त किया जावे।

8. मैंने उभयपक्षों के तर्कों पर विचार कर पत्रावली का परिशीलन किया।

अब मेरे समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है कि -

"क्या विधि से संघर्षरत किशोर S ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिल कर दिनांक 13.03.2022 को रात्रि में 12.30 बजे मौजा परतापुर में सूचक निलेशसिंह के मकान पर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बलवा कारित किया तथा आहतगण को चोटें पहुंचाईं एवं आहत कुलदीप सिंह को गम्भीर चोट पहुंचा कर हत्या कारित करने का प्रयत्न किया और सूचक के पिता भंवरसिंह के साथ मारपीट कर हत्या कारित की तथा दिलीप डामोर को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए सार्वजनिक रूप से जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया एवं उसकी गाड़ी को तोड-फोड़ कर नुकसान पहुंचाते हुए रिष्टि कारित की ?

अवधार्य बिन्दु के संदर्भ में पत्रावली पर आये साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हैं -

9. हस्तगत प्रकरण का उद्भव सूचक निलेश सिंह द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.07 पर हुआ है जिसमें सूचक ने विधि से संघर्षरत किशोर S को नामजद करते हुए विधि से संघर्षरत किशोर S द्वारा हम सलाह होकर उसके घर पर आना और उसके पिता भंवरसिंह एवं उसके परिवार वालों के साथ मारपीट करना, विधि से संघर्षरत किशोर S अरूण द्वारा मारपीट करने से उसके पिता का बेहोश होकर गिर जाना, जिनको अस्पताल ले जाने पर वहां उनकी मृत्यु हो जाना, विधि से संघर्षरत किशोर S द्वारा मारपीट करने से कुलदीप सिंह एवं दिलीप को चोटें आना तथा दिलीप की कार तोड़ देना बताया है। सूचक अ. सा. संख्या 07 निलेश सिंह ने बताया है कि

13 मार्च, 2022 को वह अपने घर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, परतापुर पर रात्रि 12:30 बजे के करीब सो रहा था कि बाहर हो-हल्ले की आवाज सुनकर जाग गया और बाहर आकर देखा तो उसके पिताजी भंवरसिंह आशिया नीचे जमीन पर गिरे हुए थे, जिन्हें वह तुरंत उठा कर गाडी में बैठा कर परतापुर सरकारी अस्पताल में ले गया, जहां चिकित्सक ने उसके पिताजी को मृत घोषित कर दिया। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 पुलिस को दी थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस वालों ने उसने सामने उसके पिताजी मृतक भंवरसिंह की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 08 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने बाद कार्यवाही उसके पिताजी भंवरसिंह की लाश उसे सुपुर्द की थी, जिसकी फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 09 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। यह साक्षी पक्षद्रोही रहा है तथा लोक अभियोजक की जिरह में साक्षी ने उसके पुलिस में बयान नहीं होना कहा है तथा अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.12 को सुन कर लिखवाये जाने से इन्कार करता है। प्रति-परीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सभी फर्दों पर हस्ताक्षर थाने पर बैठ कर किये थे। यह भी स्वीकार किया है कि फर्दों पर पुलिस ने क्या लिखा था यह उसे पढ़ कर नहीं सुनाया था।

इस प्रकार सूचक निलेश सिंह अ. सा. संख्या 02 जो प्रकरण में मृतक भंवरसिंह का पुत्र है पक्षद्रोही रहा है जिसकी साक्ष्य से अभियोजन कहानी की किशोर के विरूद्ध अपराध बाबत पुष्टि नहीं होती है जिसने अपनी साक्ष्य में किसी विधि से संघर्षरत किशोर S का नाम नहीं लिया है तथा यह स्पष्ट कथन किया है कि उसके पिताजी भंवरसिंह के साथ किसने मारपीट की यह उसने नहीं देखा। रात्रि का समय होने के कारण मारपीट करने वाले को वह पहचान नहीं पाया।

10. प्रकरण में आहतगण अ. सा. संख्या 11 छत्रसिंह एवं अ. सा. संख्या 12 कुलदीप सिंह भी पक्षद्रोही रहे हैं जिन साक्षीयों ने एक स्वर में उनके साथ कोई घटना नहीं होना, पुलिस द्वारा उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं करना तथा पुलिस द्वारा कथन लेखबद्ध नहीं करना कहा है। लोक अभियोजक की जिरह में दोनों ही साक्षीगण अपने-अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी.28 एवं 29 को सुन कर नहीं लिखाना कहते हैं। अन्य आहत अ. सा. संख्या 09 दिलीप डामोर भी पक्षद्रोही रहा है जिसने भंवर सिंह जी के घर पर बैठे हुए होना तथा इसके अलावा और कुछ नहीं जानना कहा है। लोक अभियोजक की जिरह में इस गवाह ने भी अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.21 को सुन कर नहीं लिखाना कहा है। इस प्रकार प्रकरण के आहत साक्षीयों की साक्ष्य से भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं होता है। इसके अलावा प्रकरण के अन्य साक्षीयों में अ. सा. संख्या 01 पवन, अ. सा. संख्या 02 रमेश, अ. सा. संख्या 03 कल्पेश, अ. सा. संख्या 04 नरसिंग, अ. सा. संख्या 05 जालमपुरी, अ. सा. संख्या 06 सुमन कुंवर उर्फ सुगन भी पक्षद्रोही होकर घटना की कोई जानकारी नहीं होना कहते हैं। सभी साक्षीयों ने पुलिस द्वारा उनके कथन लेखबद्ध नहीं करना कहा है तथा लोक

अभियोजक की जिरह में अपने-अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.06 को सुन कर लिखवाये जाने से इन्कार किया है। इसी प्रकार से अ. सा. संख्या 13 झुझार सिंह, अ. सा. संख्या 14 कर्मवीर सिंह, अ. सा. संख्या 15 जगदीश, अ. सा. संख्या 16 नागेन्द्र सिंह, अ. सा. संख्या 17 राजेन्द्र भी पक्षद्रोही होकर घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना, पुलिस द्वारा उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं करना तथा पुलिस द्वारा कथन लेखबद्ध नहीं करना कहा है। लोक अभियोजक की जिरह में सभी साक्षीयों ने अपने-अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी.30 लगायत 34 को सुन कर लिखवाये जाने से इन्कार किया है। अ. सा. संख्या 10 नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि दिनांक 13.03.2022 को उसके भतीजे निलेश सिंह ने फोन कर बताया कि अरूण सिंह वगैरह निवासी करणपुर द्वारा घर आकर झगड़ा व मारपीट करने से पापा की मृत्यु हो गई है। मृतक भंवरसिंह उसका सगा बडा भाई होने से वह सपरिवार गढ़ी-परतापुर आया। बड़े भाई की लाश सी.एच.सी. परतापुर में रखी होने से दिनांक 14.03.2022 को गढी पुलिस द्वारा उसके सामने लाश का पंचायतनामा लाश बनाया था, जो फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 08 हैं, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके भाई की लाश को उन्हे सुपुर्द किया गया था, जो फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 09 हैं, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस द्वारा मौके पर आकर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका बनाया गया, जो प्रदर्श पी 10 हैं, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल से ली गई खून आलूदा सीमेन्ट के सैम्पल्स लिए थे, जो फर्द जब्ती प्रदर्श पी 26 हैं, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मौके से सीमेन्ट के कंट्रोल सैम्पल्स लिए गए थे, जो प्रदर्श पी 24 हैं, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मृतक का खून आलूदा शर्ट जब्त किया था, जो फर्द जब्ती पी 25 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने एक लट्ठ बरामद किया था, जो फर्द जब्ती प्रदर्श पी 23 हैं, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द लट्ठ बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 27 हैं, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण में साक्षी ने यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि जिस वक्त घटना कारित हुई थी, उस समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था। इस प्रकार यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी नहीं होकर अनुश्रुत साक्षी है, जिसने सूचक निलेश सिंह द्वारा उसे घटना की जानकारी देना कहा है, किन्तु प्रकरण में स्वयं सूचक निलेश सिंह अ. सा. संख्या 07 पक्षद्रोही रहा है जिसने अपराध की घटना के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। जहां तक अ. सा. संख्या 10 नरेन्द्र सिंह द्वारा फर्दात् पर हस्ताक्षर किये जाने का प्रश्न है तो प्रति-परीक्षण में इस साक्षी ने स्वयं को पुलिस विभाग का कर्मचारी होकर ए.एस.आई. के पद पर होना बताया है, ऐसे में यह साक्षी हितबद्ध प्रकृति का साक्षी होकर अपने उच्चाधिकारी/अनुसंधानाधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का मात्र समर्थन कर रहा है, जिसकी साक्ष्य ठोस प्रकृति की नहीं मानी जा सकती है जहां कि प्रति-परीक्षण में साक्षी ने यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि उनके सामने जो कार्यवाही की गई उसमें स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये थे।

11. प्रकरण के चिकित्सीय साक्षी डॉ. अजयपाल अ. सा. संख्या 08 ने दिनांक 14.03.2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर होकर पुलिस की तहरीर प्रदर्श पी.13 पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट प्रदर्श पी.14 तैयार करना तथा मेडिकल बोर्ड की राय में मृतक की मृत्यु का कारण हृदयघात होना बताया है। साक्षी ने आहतगण कुलदीप, निलेश, पुष्पेन्द्रसिंह, दिलीप डामोर एवं चतरसिंह की चोटों का परीक्षण कर आहतगण के सामान्य प्रकृति की चोटें पाया जाना भी कहा है। प्रति-परीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृतक भंवर सिंह को मायोकार्डिकल इंफार्कशन के कारण जो मुर्छा हुई और मुर्छा में नीचे गिरने से बाईं आंख के पास चोट आना संभव है। यह भी स्वीकार किया है कि बाईं आंख के पास आई चोट के अतिरिक्त कोई चोट मृतक भंवर सिंह के शरीर पर नहीं थी। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से मृतक भंवरसिंह की मृत्यु हृदयघात से होना बताया है तथा अन्य आहतगण के चोटें आना भी कहता है। प्रकरण में अनुसंधानक अ. सा. संख्या 20 गोपाल लाल ने प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान कर विधि से संघर्षरत किशोर S के विरूद्ध अपराध बनना पाया जाकर आरोप-पत्र प्रदर्श पी.52 पेश करना कहा है, परन्तु स्वयं सूचक एवं आहतगण के पक्षद्रोही होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि आहतगण को आई चोटें विधि से संघर्षरत किशोर S द्वारा कारित की गई हैं अथवा मृतक की मृत्यु का कारण विधि से संघर्षरत किशोर S द्वारा घटना कारित करना रहा है जहां कि किसी भी साक्षी ने घटना देखने से इन्कार किया है।

12. प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से विधि से संघर्षरत किशोर S से कोई बरामदगी किया जाना भी सामने नहीं आया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष ने विधि से संघर्षरत किशोर S के विरूद्ध धारा 147, 148, 323, 307 सपठित धारा 149, 302 सपठित धारा 149 भा.द.सं. को साबित करने में असफल रहा है।

13. जहां तक प्रकरण में विधि से संघर्षरत किशोर S के विरूद्ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत आरोपित अपराध का प्रश्न है, तो अभियोजन द्वारा आहत दिलीप डामोर के विरूद्ध अपराध कारित करना बताया है, किन्तु अ. सा. संख्या 09 दिलीप डामोर पक्षद्रोही रहा है जिसने अपनी साक्ष्य में केवल मृतक भंवर सिंह के घर पर बैठे होना कहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं जानना कहता है। जहां तक साक्षी की कार को तोडफोड़ कर नुकसान पहुंचाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में भी इस साक्षी ने कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन ने साक्षी द्वारा अपनी कार महिन्द्रा टीयूवी 300 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे27 यूवी 3120 है को जरिये फर्द पेशकशी प्रदर्श पी.35 के पेश करना बताया है, जिस संबंध में अ. सा. संख्या 18 महेन्द्र सिंह, कानि को परीक्षित करवाया है, जिसने दिलीप डामोर द्वारा अपनी डैमेज कार महिन्द्र टीयुवी 300 बरंग लाल रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे27 यूवी 3120 जो विधि से संघर्षरत किशोर S द्वारा

तोड़ दी थी, को पेश करना कहा है, किन्तु साक्षी ने प्रति-परीक्षण में यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि घटना के तीन दिन बाद गाड़ी लाकर दी थी। अनुसंधान अधिकारी गोपाललाल को दिलीप डामोर ने लाकर गाड़ी दी थी। उसके सामने दिलीप डामोर ने गाड़ी संबंधी कोई दस्तावेज नहीं दिये थे, किन्तु जब वाहन का स्वामी अ. सा. संख्या 04 दिलीप डामोर पक्षद्रोही रहा है एवं उसने कार के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, ऐसे में इस हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष ने विधि से संघर्षरत किशोर S के विरूद्ध धारा 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट को साबित करने में असफल रहा है।

14. अतः विधि से संघर्षरत किशोर S को धारा 147, 148, 323, 307 सपठित धारा 149, 302 सपठित धारा 149, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

15. परिणामस्वरूप विधि से संघर्षरत किशोर S को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 307 सपठित धारा 149, 302 सपठित धारा 149, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 से दोषमुक्त किया जाता है। विधि से संघर्षरत किशोर S की ओर से पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध की जाने वाली अपील या याचिका में उपस्थिति बाबत किशोर S की धारा 437(क) द.प्र.सं. के अधीन प्रस्तुत प्रतिभूति सहित जमानत पत्र आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगी।

(राम सुरेश प्रसाद)

16. निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सुरेश प्रसाद)